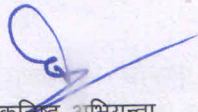


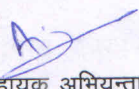
परियोजना का नाम :

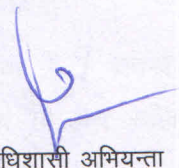
जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु०मं०घो०) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी० (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी०)

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

-----संलग्न है-----


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा

संख्या:- 5757/111(2)/10-05(मु0म0घो0)/2010

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक: 09 नवम्बर, 2010

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, मौजी द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये आगणनों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार 05 कार्यों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यों यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू-अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटेन्सी आदि मदों के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 547.89 लाख (₹ पाँच करोड़ सैंतालीस लाख उन्नीसी हजार मात्र) पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 05 कार्यों हेतु ₹ 0.50 लाख (₹ पचास हजार मात्र) के व्यय की, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:- 1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैंडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही हो तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद के दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

स्वीकृत किये गये कार्यों के क्रियान्वयन में उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट रूलस-2008 एवं उक्त के विषय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

22/11/10

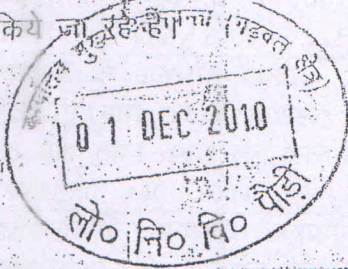
Photo Copy
सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0
उत्तराखण्ड

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219(2006) दिनांक 14-08-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय य अग्रगण्य गठित करते समय कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

चौकित किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अधिकारी को होगा।

इस तद्वच में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-5084 सड़कों तथा सेतुओं पर भूजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-543/XXVII(2)/2010 दि०: 09 नवम्बर, 2010 को उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
यथापरि।



भुवदीय,
प्रदीप सिंह रावत
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या:- (1)/11(2)/10-05(मु०म०घो०)/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स-विलिडिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, जनपद पौड़ी/टिहरी/चमोली/रुद्रप्रयाग।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद पौड़ी/टिहरी/चमोली/रुद्रप्रयाग।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम/अष्टम/नवम/बारवाँ वृत्त, लो०नि०वि० गोपेश्वर/टिहरी/देहरादून/पौड़ी।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड बुक।

Photo Copy Attested
Kun
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

Photo Copy Attested
A

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लो०नि०वि०, देहरादून

आज्ञा से,
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग
(महिमा)
अनु सचिव

संख्या: 1470 / 02 प्रजाप(क)-उत्तरा/2010 दि. 11/12/2010
पृष्ठांकन प्रतिलिपि तिमालिखित को सूत्रार्थ एवं आवश्यक
प्रतिनिधि हेतु प्रेषित।
मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो०नि० विभाग, पौड़ी
अधीक्षक अभियन्ता, 7/8/12 वां वृत्त, लो०नि० वि० गोपेश्वर/टिहरी
पौड़ी
वृत्त की/आने-नी, लो०नि० विभाग, माजरा देहरादून
गार्ड बुक।

26/11/10
-3-

शासनादेश संख्या- 5757/111(2)/10-05(मु0म0घो0)/2010 दि0 09 नवम्बर, 2010 का सं

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित (लाख ₹ में)	वित्तीय 2010-11 हेतु स्वीकृत (लाख ₹ में)
01	02	03	04	05
01	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक में थत्यूड से केम्पटी मोटर मार्ग का निर्माण। घोषणा सं०:-427/2009	14.00+ 02 सेतु	178.08	0.10
02	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद मौड़ी गढ़वाल में कौडिया-मोटाढांग मार्ग पर बी0ई0एल0 के पास सुखरी नदी पर 385 मी० स्पान डबल लेन आर०सी०सी० सेतु का निर्माण। घोषणा सं०:- 446/2009	385 मी०	42.21	0.10
03	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखण्ड के अन्तर्गत कोटली बांसी मोटर मार्ग का नवनिर्माण। घोषणा सं०:-03/2010	8.00	100.80	0.10
04	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखण्ड के अन्तर्गत सुमाडी- बिराणगांव- जाखाल मोटर मार्ग का नवनिर्माण। घोषणा सं०:- 04/2010	10.00	126.00	0.10
05	मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र-बद्रीनाथ के अन्तर्गत तपोवन रिगी भविष्य बद्री मोटर मार्ग के किमी० 11 से किमी० 18.00 तक विस्तार हेतु 8.00 किमी० लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण। घोषणा सं०:-60/2010	8.00	100.80	0.10
			547.89	0.50

(कुल ₹ पचास हजार मात्र)

Pradeep Singh Rawat
(प्रदीप सिंह रावत)
उपसचिव

Photo Copy Attached
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

Photo Copy Attached
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग